(त) धारा 33 की उप धारा (3) के अधीन अभिरक्षा जिसमें ग्राम परिषद निधि रख सकेगा;

(थ) धारा 36 की उप धारा (2) के अधीन रीति जिसमें कर तथा शुल्क निर्धारित तथा वसूली करेगा;

(द) धारा 40 की उप धारा (1) के अधीन फार्म जिसमें मांग नोटिस भेजेगा;

(ध) धारा 40 की उप धारा (2) के अधीन रीति जिसमें किसी मांग नोटिस देगा;

(न) धारा 41 के अधीन फार्म जिसमें आय एवं व्यय के लेखा का रखरखाव करेगा;

(प) धारा 42 की उप धारा (1) के अधीन ग्राम परिषद द्वारा बजट तैयार करने का समय तथा रीति;

(फ) पद्धति जिसके तहत धारा 43 की उप धारा (1) के अधीन ग्राम परिषद की लेखा का लेखा परीक्षा की जानी है;

(ब) धारा 43 की उप धारा (4) के तहत अधिभारित राशि की वसूली की पद्धति

(भ) धारा 48 की उप धारा (3) के तहत ग्राम परिषद को हुए हानि की वसूली की पद्धति;

(म) पद्धति जिसके तहत धारा 53 की उप धारा (3) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को आवर्तित किया जाएगा;

(य) धारा 63 की उप धारा (1) के तहत चीफ कैप्टेन अथवा उप चीफ कैप्टेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखने की सूचना ;

(र) धारा 67 की उप धारा (1) का खण्ड (छ) के तहत् इसी तरह की अन्य शक्तियाँ और कार्य;

(ल) द्वीप परिषद की बैठक का समय और स्थान और धारा 68 की उप धारा (1) के तहत ऐसे बैठकों के लिए प्रक्रिया;

(व) पद्धति जिसके तहत धारा 68 की उप धारा (2) के अधीन द्वीप परिषद का कोई सदस्य चीफ कैप्टेन अथवा उप चीफ कैप्टेन को संकल्प और प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है;

(वक) नियंत्रण तथा पाबन्दी जिसके अनुसार द्वीप परिषद धारा 69 की उप धारा (1) के अधीन समिति नियुक्त कर सकती है;

(वख) कारण जिसके कारण धारा 69 की उप धारा (2) के तहत समितियाँ विघटित की जा सकती है और पद्धति जिसके तहत समितियों का पुनर्गठन किया जा सकता है;

(वग) अभिरक्षा जिसमें धारा 74 की उप धारा (3) के अधीन द्वीप परिषद निधि को रखा जा सकता है;

(वघ) प्रक्रिया तथा सीमाएँ जिसके अनुसार धारा 75 की उप धारा (1) के अधीन कर, चुँगी, उपकर और शुल्क की उगाई की जा सकेंगी;

(वड.) धारा 75 की उप धारा (2) के अंतर्गत लागू किए जाने हेतु पथकर का मापमान, शुल्क अथवा दरें और शर्तें ;

(वच) फार्म जिसमें धारा 79 की उप धारा (1) के अधीन मांग नोटिस भेजी जा सकती है;

(वछ) पद्धति जिसके तहत धारा 79 की उप धारा (2) के अधीन मांग की नोटिस जारी की जा सकती है;

(वज) धारा 79 की उप धारा (3) के अंतर्गत टक्स कर अथवा शुल्क अथवा अन्य किसी राशि की वसूली की पद्धति